मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी, परती भूमि विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 27.04.2016 एवं 28.04.2016 को स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी मुख्यालय पर शारदा सहायक समादेश एवं रामगंगा कमाण्ड के क्षेत्रीय उप निदेशकों/भूमि संरक्षण अधिकारियों, अवर अभियन्ता एवं टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ सम्पन्न बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त

दिनांक 27.04.2016 को शारदा सहायक समादेश एवं दिनांक 28.04.2016 को रामगंगा समादेश के उप निदेशक, भूमि संरक्षण अधिकारी, अवर अभियंता एवं टेक्निकल एक्सपर्ट की बैठक एसएलएनए के सभाकक्ष में आयोजित की गयी। दिनांक 27.04.2016 को आयोजित बैठक में श्री जयराम सिंह, मुख्य वित्तीय सलाहकार, श्री वरूण कुमार मिश्रा, अपर निबन्धक, श्री उग्रसेन शाही, संयुक्त निदेशक तथा दिनांक 28.04.2016 को आयोजित बैठक में श्री मदनपाल आर्या, अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड, श्री वरूण कुमार मिश्रा, अपर निबन्धक, श्री उग्रसेन शाही, संयुक्त निदेशक द्वारा बैठक में भाग लिया गया।

बैठक में एजेण्डा बिन्दुवार प्रगति समीक्षा की गयी, जिसका कार्यवृत्त निम्नवत् है:–

1. डब्ल्यूसीडीसी से डब्ल्यूसी एवं पीआईए में धनराशि अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में की गयी समीक्षा से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जनपद अम्बेडकरनगर, सन्तरविदासनगर (भदोही), बलिया, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ मिर्जापुर, सुल्तानपुर, रामपुर, बुलन्दशहर एवं औरैया में सम्पूर्ण धनराशि स्थानान्तरित नहीं की गयी है। धनराशि डब्ल्यूसी एवं पीआईए के खातों में स्थानान्तरित नहीं होने के कारण इनका समय से सदुपयोग सुनिश्चित नहीं हो पायेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा असंतोषजनक व्यक्त करते हुये सम्बन्धित भूमि संरक्षण अधिकारी को निर्देशित किया गया कि दिनांक 05.05.2016 तक डब्ल्यूसीडीसी से डब्ल्यूसी एवं पीआईए के खातों में धनराशि अन्तरित कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा स्थिति में डब्ल्यूसीडीसी में अवशेष पड़ी धनराशि को एसएलएनए में वापस ले लिया जायेगा तथा अच्छी प्रगति वाले जनपदों में स्थान्तरित कर दिया जायेगा।

जनपद अम्बेडकरनगर के भूमि संरक्षण अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं थे। इस इकाई के अवर अभियन्ता श्री ओ.पी. सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि संरक्षण अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी से सम्पर्क नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण धनराशि अवमुक्त होने में विलम्ब हो रहा है। निर्देशित किया

गया कि भूमि संरक्षण अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जाये।

2. उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा के उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि कतिपय जनपदों यथा पीलीभीत, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर में पर्याप्त धनराशि होते हुए भी कार्य नहीं कराया गया है, जिसके लिए सम्बन्धित भूमि संरक्षण अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं लेखाकार जिम्मेदार हैं। निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित कार्मिक एक सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करें तथा आगामी 15 दिनों के भीतर वांछित प्रगति प्राप्त नहीं होने की दशा में इन कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार मण्डल–आजमगढ के समस्त जनपदों में धीमी प्रगति के दृष्टिगत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन व अन्य देयक कार्य की संतोषजनक प्रगति होने तक रोकने के निर्देश दिये गये। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि 15 दिन में अपेक्षित प्रगति प्राप्त नहीं होने पर दोषी कार्मिकों के निलम्बन की कार्यवाही कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद बाराबंकी, कुशीनगर, देवरिया, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, महराजगंज रामपुर, अलीगढ, सम्भल, बिजनौर, आगरा, बुलन्दशहर, मैनपुरी, हाथरस, एटा, जे0पी0नगर (अमरोहा) इटावा की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति असंतोषजनक पायी गयी। उपरोक्त जनपदों के भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा शत–प्रतिशत प्रगति दिनांक 10 मई, 2016 तक सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया। जनपद–रामपुर में लगभग रू0 3.00 करोड़ की धनराशि अवशेष है, जबकि मासिक सूचना में उनके द्वारा मात्र 52.00 लाख अवशेष दर्शायी गयी है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित भूमि संरक्षण अधिकारी एवं अवर अभियंता द्वारा बैठक में अवगत कराया गया है कि डब्ल्यूसीडीसी से डब्लूसी एवं पीआईए के खातों में धनराशि अंतरित नहीं होने के कारण इकाई की सूचना में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस जनपद में मात्र एक भूमि संरक्षण इकाई कार्यरत है तथा एसएलएनए से डब्ल्यूसीडीसी में धनराशि बहुत दिनों पूर्व अन्तरित करा दी गयी थी, फिर भी इकाई/जनपद की सूचना में इस धनराशि को सम्मिलित नहीं किया गया तथा भ्रामक सूचना प्रेषित की जा रही है। इस कृत के लिये सम्बन्धित भूमि संरक्षण अधिकारी एवं अवर अभियंता को प्रतिपूर्ति प्रविष्टि देने के निर्देश दिये गये हैं।

3. माह फरवरी, 2016 में इकाईयों द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना के सापेक्ष माह मार्च, 2016 तक निष्पादित कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति अधिकांश इकाईयों द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी। यह स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है। निर्देशित किया गया कि सभी इकाईयों द्वारा कार्य योजना के सापेक्ष माह मार्च, 2016 तक निष्पादित कार्यों की कार्य मदवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति एक

सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करा दिया जाये तथा इनके फोटोग्राफ्स ई–मेल के माध्यम से एसएलडीसी को उपलब्ध कराया जाये। समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद सुल्तानपुर में जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी द्वारा धनराशि का डब्ल्यूसीडीसी से डब्ल्यूसी एवं पीआईए में अन्तरण इस प्रतिबन्ध के साथ किया गया है कि कार्य योजना में चयनित कार्यों का डिजाइन एवं प्राक्कलन प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्य कराया जाये। बैठक की तिथि तक इस इकाई द्वारा चयनित कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत नहीं किया गया। यह स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है। भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि तत्कालीन अवर अभियंता द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। निर्देशित किया गया कि भूमि संरक्षण अधिकारी तत्कालीन एवं वर्तमान अवर अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाये तथा उप निदेशक, फैजाबाद को इकाई की जांच कर वस्तुस्थिति से एक सप्ताह के अन्दर अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

4. प्रशिक्षण की वार्षिक कार्य योजना के सापेक्ष आयोजित कराये गये प्रशिक्षण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा से यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2015–16 में आयोजित प्रशिक्षणों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। अधिकांश प्रशिक्षण केवल जागरूकता और संचेतना के सम्बन्ध में कराया गया है। इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह निर्देश दिये गये कि वर्ष 2016–17 में आजीविका संवर्धन, सूक्ष्म उद्यम विकास, कौशल विकास, उत्पादन प्रणाली आदि से सम्बन्धित प्रशिक्षण कराया जाये। निर्देशित किया गया कि सभी भूमि संरक्षण अधिकारी अपने जनपदों की प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य योजना तैयार कर एक सप्ताह के अन्दर एसएलडीसी कार्यालय में प्रस्तुत करें।

5. एसएलएनए द्वारा अनुमोदित संस्थाओं से कराये जा रहे प्रशिक्षण की समीक्षा में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि स्टेप–एचबीटीआई, कानपुर द्वारा कराये जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। एसआईआरडी के अतिरिक्त अन्य दोनों संस्थाओं द्वारा जागरूकता एवं संचेतना से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिये गये। निर्देशित किया गया कि स्टेप–एचबीटीआई, कानपुर के प्रशिक्षण पर तत्कालिक प्रभाव से रोक लगा दिया जाये। क्षेत्रीय अधिकारियों से स्किल–बेस्ड ट्रेनिंग तथा संस्थाओं का चयन करते हुये कार्य योजना एक माह के अन्दर एसएलडीसी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाये।

6. वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 की अवशेष डीपीआर तैयार करने की प्रगति समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद बुलन्दशहर, बागपत, मैनपुरी, इटावा, औरैया, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, हापुड़, सम्भल, जे0पी0नगर, रामपुर, बिजनौर, रायबरेली, लखीमपुरखीरी, सीतापुर, बदायूँ, शाहजहॉपुर, प्रतापगढ,

कौशाम्बी, बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी एवं जौनपुर की भूमि संरक्षण इकाईयों द्वारा कुछ सूचनायें सम्बन्धित संस्था एसएआईआरडी लखनऊ को उपलब्ध नहीं कराया गया है। जनपद आजमगढ़, संतकबीरनगर, सोनभद्र, झांसी का डीपीआर स्टेप–एसबीटीआई, कानपुर द्वारा तैयार किया जाना है। ज्ञात हुआ कि इन जनपदों की भूमि संरक्षण इकाईयों द्वारा अभी तक पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिसके परिणामस्वरूप डीपीआर तैयार करने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। सम्बन्धित अधिकांश जनपदों के भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उन्होंने सूचना भेज दिया है। निर्देशित किया गया कि दिनांक 05.05.2016 तक समस्त वांछित सूचनायें सम्बन्धित संस्थाओं को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दिया जाये तथा माह मई, 2016 के अन्त तक अवशेष डीपीआर पूर्ण कराकर एसएलडीसी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाये।

7. जनपदों में स्थापित सामुदायिक कृषि यंत्र केन्द्रों के अनुबन्ध निष्पादन, परस्पर करारनामा एवं कार्य दरों का निर्धारण मात्र तीन जनपदों क्रमशः मऊ, आजमगढ, एवं संतकबीरनगर में कराया गया है। उक्त स्थिति पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा रोष व्यक्त करते हुए शेष 17 जनपदों के भूमि संरक्षण अधिकारियों को एक सप्ताह (दिनांक 05 मई, 2016 तक) के भीतर उक्त कार्य को पूर्ण कर एसएलएनए को सूचित करने के निर्देश दिये गये।

8. सामुदायिक कृषि यंत्र केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रदेश के 20 जनपदों में माह दिसम्बर, 2015 में यू0पी0 एग्रो, लखनऊ द्वारा कृषि यंत्र उपलब्ध कराये गये थे। लगभग 04 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कतिपय जनपदों यथा अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, बस्ती, आजमगढ़, महराजगंज, बलिया, सोनभद्र, देवरिया एवं चंदौली द्वारा यू0पी0 एग्रो, लखनऊ को भुगतान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद जौनपुर, भदोही एवं इलाहाबाद के भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा आंशिक भुगतान किया गया है। सम्बन्धित भूमि संरक्षण अधिकारियों निर्देशित किया गया कि 15 दिनों के अन्दर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही करके एसएलएनए को अवगत करायें।

9. दिसम्बर, 2015 में योजना के प्रचार–प्रसार हेतु विकास भवन, कलेक्ट्रेट आदि चिन्हित स्थलों पर हार्डिंग स्थापित कराये गये थे। इस सम्बन्ध कतिपय जनपदों के भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि लगाये गये होर्डिंग क्षतिग्रस्त हो गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि नये होर्डिंग में ''प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–वाटरशेड डेवलेपमेन्ट (तत्कालीन

आईडब्लूएमपी)'' अंकित करते हुये लगवाया जाये। होर्डिंग की दीर्घजीविता हेतु यथासम्भव आवश्यक उपाय किये जायें।

10. आईडब्ल्यूएमपी योजना वर्तमान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड) के रूप में क्रियान्वित की जानी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसका अनुमोदन डिस्ट्रिक एरीगेशन प्लान में होना अनिवार्य है। अभी तक किसी भी जनपद से अनुमोदित डिस्ट्रिक एरीगेशन प्लान उपलब्ध नहीं कराया गया है। निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों को डिस्ट्रिक एरीगेशन प्लान में सम्मिलित कराते हुये समय से इसका अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये तथा इसकी एक प्रति एसएलएनए को उपलब्ध करायी जाये।

11. समीक्षा के दौरान पाया गया कि कतिपय जनपदों द्वारा एम0आई0एस0 की फीडिंग अद्यतन नहीं करायी गयी है। निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह के भीतर एमआईएस की फीडिंग अद्यतन कर एसएलएनए को सूचित किया जाये। समीक्षा अन्तर्गत जनपद मऊ एवं मीरजापुर की फीडिंग की स्थिति अत्यन्त खेदजनक प्राप्त हुई, जिसके लिए निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाये तथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध उचित कार्यवाही की संस्तुति की जाये। अग्रेत्तर समीक्षा में यह भी प्रकाश में आया कि जनपद–संतकबीरनगर, उन्नाव, प्रतापगढ़ बलिया, मऊ, देवरिया कुशीनगर, महराजगंज, वाराणसी, चित्रकूट, महोबा एवं इटावा की आंशिक परियोजनाओं के वित्तीय/ भौतिक एक्शन प्लान की फीडिंग नहीं की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित भूमि संरक्षण अधिकारी/अवर अभियन्ता का स्पष्टीकरण मांगा जाये तथा फीडिंग एक सप्ताह के भीतर पूर्ण की जाये। जनपद आजमगढ के अवर अभियन्ता श्री चन्द्रशेखर सिंह द्वारा एमआईएस सम्बन्धी सूचना समय से न देकर दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया, जिसके लिए उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने निर्णय लिया गया। जनपद–ललितपुर के तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि संरक्षण अधिकारी/अवर अभियन्ता एक्शन प्लान डीलिट कराना चाहते हैं, जिससे उनकी अनियमितता का पता न चले। उप निदेशक, झांसी को एक सप्ताह में जांच कर जांच आख्या भेजने के निर्देश दिये गये। जनपद–सोनभद्र की एमआईएस फीडिंग अवर अभियन्ता की लापरवाही के कारण पूर्ण नहीं की गयी है, जिसके लिए उन्हें जिम्मेदार मानते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

12. पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) से धनराशि की अन्तरण की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि पीएफएमएस की पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण अन्तरण में बाधा उत्पन्न हो

रही है। यह अत्यन्त आवश्यक कार्य है। भारत सरकार द्वारा भविष्य में पीएफएमएस के माध्यम से अन्तरण करने वाले राज्यों को ही प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि मण्डलवार सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों को एसएलएनए स्तर पर तत्काल प्रशिक्षण प्रदान कराया जाये, जिससे भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

13. सम्बन्धित मण्डलों के उप निदेशकों को डब्लूडीटी सदस्यों के मासिक भुगतान के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि डब्लूडीटी सदस्यों का भुगतान अगले माह के 10 तारीख तक कर दिया जाये। बैठक में यह तथ्य प्रकाश में लाया गया कि देवरिया के डब्लूडीटी सदस्यों का मानदेय का भुगतान माह जून, 2015 से नहीं किया गया है, इसके लिए भूमि संरक्षण अधिकारी, देवरिया के सेवानिवृत्त उपरान्त देयकों को रोके जाने का निर्णय लिया गया। संज्ञान में लाया गया कि जनपद भूमि संरक्षण इकाई गाजीपुर में प्रशासनिक मद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है। डब्लूडीटी सदस्यों के मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है। यह भी ज्ञात हुआ कि इस इकाई में आवश्यकता से अधिक डब्ल्यूडीटी सदस्य रखकर अनावश्यक दायित्व सृजित किया गया है। इस अनुत्तरदायित्व कृत के लिये भूमि संरक्षण अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिये गये तथा उप निदेशकों से यह अपेक्षा की गयी कि समय से इकाईयों में समीक्षा करके वस्तुस्थिति से एसएलएनए को अवगत कराया जाये।

14. डब्ल्यूसी, डब्ल्यूसीडीसी एवं पीआईए स्तर पर परियोजना एवं संस्थागत मद में उपलब्ध धनराशि का सदुपयोग समय से सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना तैयार करने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। निर्देशित किया गया कि प्रत्येक मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष माहवार त्रैमासिक एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाये तथा कार्य योजना में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति समय से सुनिश्चित करायी जाये।

15. वर्षवार निर्मित जल संचय संरचनाओं की संख्या तथा उससे आच्छादित क्षेत्रफल की अद्यतन सूचना के सम्बन्ध में समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि कतिपय जनपदों द्वारा एसएलएनए को पूर्व में प्रेषित सूचनाओं में निरन्तर संशोधन कर भेजा जा रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए समस्त जनपदों के भूमि संरक्षण अधिकारी/अवर अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि भारत सरकार द्वारा वांछित प्रारूपों पर सूचनाओं का स्वंय अध्ययन करते हुए एसएलएनए को प्रेषित किया जाये। यदि किसी प्रारूप को समझने में कठिनाई आती है तो एसएलएनए

के सम्बन्धित कार्मिक से सम्पर्क कर सही सूचनाओं का प्रेषण सुनिश्चित किया जाये।

16. जनपदों द्वारा प्रेषित वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर एव अन्य वाटरशेड डेवलपमेन्ट वर्क के अन्तर्गत सम्पादित कार्यो के फोटोग्राफ या तो जीपीएस कैमरे द्वारा नहीं लिये गये हैं अथवा वर्ड/पीपीटी पर संलग्न कर ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की गयी हैं। समस्त मण्डल के उप निदेशकों को निर्देशित किया गया कि टीम गठित कर अपने मण्डल के अन्तर्गत समस्त जनपदों में वर्ष 2009–10 से सम्पादित/निर्मित वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर एव अन्य वाटरशेड डेवलेपमेन्ट वर्क का वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी हाई–रिजोल्यूशन (High-resolution) कैमरे के साथ दिनांक 01 जून, 2016 तक सम्पादित कराया जाये। वर्षवार निर्मित संरचनाओं का पृथक–पृथक फोल्डर तैयार कराया जाये। वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी करने वाली टीम का वीडियोग्राफी/ फोटोग्राफी करते समय जनपद के तकनीकी विशेषज्ञ जीपीएस कैमरे द्वारा उनकी फोटोग्राफी साथ–साथ करेंगे। अग्रेत्तर यह भी निर्देश दिया गया कि माह फरवरी, 2016 से कराये जा रहे मिशन मोड के कार्यो की अलग से फोल्डर तैयार किया जायेगा। उपरोक्त कार्य मानीटरिंग मद से कराये जाने के निर्देश दिये गये।

17. मै0 क्रियेटर लैब द्वारा माह दिसम्बर, 2015 में जनपदों को उपलब्ध कराये गये मैप आधारित ग्राफिक्स डिजाइन के भुगतान की प्रगति समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद–सुल्तानपुर, मेरठ, बागपत एवं बिजनौर द्वारा भुगतान कर दिया गया है। अन्य जनपदों द्वारा भुगतान की कार्यवाही अभी नहीं की गयी। लगभग 04 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कतिपय जनपदों द्वारा मै0 क्रियेटर लैब को ग्राफिक्स डिजाइन का भुगतान नहीं किया गया हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा रोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि दिनांक 15 मई, 2016 तक प्रत्येक दशा में भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

18. संज्ञान में लाया गया कि कतिपय जनपदों द्वारा तकनीकी विशेषज्ञ एवं डब्लूडीटी सदस्यों को निर्धारित यात्रा भत्ता की धनराशि का नियमित रूप से मासिक भुगतान नहीं किया जा रहा है। कतिपय जनपदों के भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि लेखाकारों द्वारा प्रतिमाह बिल की मांग की जाती है, जिसके आधार पर भुगतान किया जा सके। संयुक्त निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि एसएलएनए द्वारा जारी यात्रा भत्ता के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिमाह दिये जाने वाले मासिक मानदेय के साथ में यात्रा भत्ता

का भुगतान किया जाना है, जिसके लिये कोई पृथक यात्रा भत्ता बिल की आवश्यकता नहीं है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि तकनीकी विशेषज्ञ एवं डब्लूडीटी सदस्यों द्वारा कार्यालय को प्रस्तुत दैनिक दैनन्दनी में प्रतिदिन सम्पादित यात्राओं पर हुये व्यय का अंकन भी किया जाये तथा मासान्त में योग कर व्यय हुये धनराशि के सापेक्ष निर्धारित यात्रा भत्ता की धनराशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

इसके अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये गये :–

- बैठक में निर्देश दिये गये कि सभी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी कार्यो में प्रगति लाने हेतु प्रतिदिन ई–मेल चेक करना सुनिश्चित करेंगे तथा एसएलएनए द्वारा वांछित सूचनाओं को निर्धारित प्रारूप पर ई–मेल के माध्यम से ही भेजेंगे। भविष्य में पेपर वर्क के प्रयोग के स्थान पर अधिक से अधिक ई–मेल का प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

- जनपदों में कराये गये कार्यो का फीड बैक एवं भविश्य में प्रभावी कार्य योजना तैयार किये जाने के उद्देश्य से माह जून, 2016 में डब्लूसी स्तर पर जल संचय पंचायत का आयोजन कराया जाये। जल संचय पंचायत का आयोजन डब्लूसीडीसी के तकनीकी विशेषज्ञ एवं पीआईए स्तर पर कार्यरत डब्लूडीटी सदस्यों द्वारा सम्पादित कराया जायेगा।

- आईडब्लूएमपी के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन के अनुसार डब्लूडीटी सदस्य परियोजना का अभिन्न अंग है, परन्तु कतिपय जनपदों द्वारा डब्लूडीटी सदस्यों की शैक्षिक योग्यता एवं कार्यक्षमता के अनुरूप कार्यो का सम्पादन नहीं कराया जा रहा है, जिससे कार्यो की प्रगति प्रभावित हो रही है। अतः डब्लूडीटी सदस्यों का वर्क आवंटन शैक्षिक योग्यता एवं कार्यक्षमता के अनुरूप सुनिष्चित किया जाये। मण्डल स्तर पर उप निदेशक डब्लूडीटी सदस्यों का कार्य आवंटन के सापेक्ष वर्क आउटपुट का निरन्तर मूल्यांकन करेंगे तथा समय–समय पर आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। डब्लूडीटी सदस्य को गाइड लाइन के अनुरूप डब्लूसी का अनिवार्य रूप से सदस्य नामित किया जाये।
- वृक्षारोपण के सम्बन्ध में निर्देष दिये गये कि माह मई, 2016 में कार्य योजना बनाकर जिलाधिकारी से अनुमोदित करा लिया जाये जिससे समय पर वृक्षारोपण के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को षतप्रतिषत प्राप्त किया जा सके।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

ह०
(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कार्यालय– स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी
समेकित वॉटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम
परती भूमि विकास विभाग
एल्डिको कारपोरेट टॉवर, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दूरभाष– 0522–4005337, 4113437 ई–मेल sldcldwrlu-up@nic.in

पत्रांक– 64 /एस.एल.डी.सी./2016–17 दिनांक 06 मई, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, एसएलएनए/मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0शासन।
3. अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन परियोजना, 23–सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।
4. अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, पाण्डुनगर, कानपुर।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डब्लू0सी0डी0सी0, उ0प्र0 (जनपद–शामली, गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर)।
6. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, शारदा सहायक समादेश, 23–सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।
7. मुख्य वित्तीय सलाहकार, शारदा सहायक समादेश, 23–सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।
8. संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0शासन।
9. समस्त उप निदेशक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
10. समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
11. प्रशासनिक अधिकारी, एसएलएनए, लखनऊ।
12. समस्त तकनीकी विशेषज्ञ डब्लूसीडीसी, उ0प्र0।
13. गार्ड फाइल।

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी